(5)

अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा का न्यायालय

आर0ई0आर केश सं0– 15/19–20

भगवान पाण्डेय बनाम् श्यामसुन्दर राम

:–आदेश–:

प्रस्तुत वाद आवेदक भगवान पाण्डेय, पे0–स्व0 शंकरदयाल पाण्डेय, सा0–महागामा, थाना–महागामा, जिला–गोड्डा द्वारा दाखिल आवेदन, जो मौजा–महागामा नं0–700, जमाबंदी नं0–128, दाग नं0–128,723 एवं 724 रकवा–00–01–06 धूर भूमि से विपक्षी श्याम सुन्दर राम, पे0–स्व0 रामोतार राम, सा0–महागामा, अंचल वो थाना–महागामा, जिला–गोड्डा को उच्छेद करते हुए दखल दिलाने का अनुरोध किया है। तदनुसार अंचल अधिकारी, महागामा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा उभय पक्षों को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। निर्गत नोटिस के अनुपालन में उभय पक्ष उपस्थित हुए तथा अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से कारणपृच्छा दाखिल किया।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं उनके द्वारा दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।

प्रथमपक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रासंगिक भूमि उनकी रैयती भूमि है। विपक्षी द्वारा फर्जी तरीके से जबरदस्ती दखल जमाकर हड़पने की नियत से प्रासंगिक भूमि पर चाहरदिवारी का निर्माण कार्य किया गया है। साक्ष्य के रूप में प्रासंगिक भूमि का पर्चा की छायाप्रति समर्पित करते हुए उक्त भूमि से विपक्षी को उच्छेद करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रासंगिक भूमि पर पिछले 85 वर्षो से उनका कब्जा है। उक्त भूमि पर चाहर दिवारी का निर्माण विपक्षी के द्वारा ही किया गया है। हाल सर्वे पर्चा में भी विपक्षी के पिता का नाम अंकित है। प्रासंगिक भूमि मकानमय सहन की भूमि है। साक्ष्य के रूप में हाल सर्वे पर्चा की छायाप्रति, स्थल का फोटो समर्पित करते हुए आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, महागामा ने अपने पत्रांक–1248/रा0, दिनांक–01.09.2022 द्वारा जाँचोपरांत प्रतिवेदित किया है कि मौजा–महागामा, थाना नं0–700, जमाबंदी नं0–128, दाग नं0–723, रकवा–00–00–13 धूर भूमि, दाग नं0–724, रकवा–00–00–13 धूर भूमि गत सर्वे खतियान में मो0 पाण्डे खतियानी रैयत के पोता है। स्थानीय जाँच मे पाया कि वर्णित भूमि पर विपक्षी श्याम सुन्दर राम, पिता–स्व0 रामोतार राम का चाहर दिवारी अवस्थित है। विपक्षी द्वारा हाल सर्वे पर्चा का छायाप्रति समर्पित किया गया है, जिसमें वर्णित भूमि खाता नं0–386/क श्याम सुन्दर टिवरेवाल, पिता–रामोतार राम के नाम से अंकित है। सारे तथ्यों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रथम पक्ष जमाबंदी रैयत के वंशज है तथा विपक्षी जमाबंदी रैयत के वंशज नहीं है। मामला अवैध हस्तांतरण से संबंधित है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, अंचल अधिकारी, महागामा के जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकनोपरांत पाया कि प्रासंगिक भूमि कृषि योग्य भूमि नहीं रहने के कारण इस प्रक्रिया के तहत अग्रेतर कार्रवाई करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन को खारिज करते हुए वाद की कार्रवाई बंद की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Digitally signed by ALOK WARAN KESHRI
Date: 2025.01.03 17:08:19 +05:30
Location: 192.168.1.51

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Binay Kr Jaiswal
4.9.24

Uttam Kr Verma
Adv.
4-9-24